उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या: 30/2016/2376/12-2-2016-128/2013
लखनऊ: दिनांक: 02 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि पत्र

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 26/1991/12-2-2016-128/2013 दिनांक 08 अगस्त, 2016 द्वारा किसान आय वृद्धि आयोग में नामित 03 विशेषज्ञ सदस्यों में से क्रमांक-1 पर अंकित सदस्य डा0 एस0 आसिफ एच0 आबिदी निवासी सी0एम0-11, सेक्टर-बी, अलीगंज, लखनऊ को एतदद्वारा पृथक किया जाता है।

2. उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08 अगस्त, 2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

रजनीश गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या: 30/2016/2376/12-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, मा0 खाद्य एवं रसद मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, मा0 सहकारिता मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन।
9. कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ।
10. कुलपति, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।
11. कुलपति, मा0 कांशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा।
12. कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद।
13. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
14. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
16. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
17. डा0 एम0 डी0 पाठक, पूर्व महानिदेशक, यू0पी0सी0ए0आई0, लखनऊ एवं पूर्व वैज्ञानिक आई0आर0आर0आई0, मनीला, फिलीपीन्स वर्तमान पता-बी-1, जे0 रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
18. श्री के0 बी0 सिंह पूर्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ निवासी 13/59,इन्दिरा नगर, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।